विविध **बैंक प्रकरण संख्या 34/2020(GCMS : 2020/00089) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा गुरूनानक गर्ल्स स्कूल, श्रीगंगानगर बनाम 1. ओम प्रकाश गेदर पुत्र श्री विजया सिंह निवासी 3/50 शंकर कॉलोनी, श्रीगंगानगर 2. श्रीमती किताबो देवी पत्नि श्री विजय सिंह 3. विनोद कुमार गेदर पुत्र श्री विजय सिंह 4. मोहन प्रकाश गेदर पुत्र श्री विजय सिंह निवासी 3 जी 14 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर 5. रणवीर सिंह वर्मा पुत्र विजय सिंह ऑफिस पता 24 बी एन एस एस बी रंगिया, आसाम 6. मोनिका देवी पत्नि श्री ओम शंकर गेदर निवासी 3/50 शंकर कॉलोनी, श्रीगंगानगर 7. जलविन्द्र सिह भंगू पुत्र श्री जीत सिंह निवासी 257 होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**08.06.2021**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक की ओर से श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए और एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी ओम प्रकाश गेदर, किताबो देवी, विनोद कुमार गेदर, मोहन प्रकाश एवं रणवीर सिंह, मोनिका देवी एवं जलविन्द्र सिंह भंगू द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी ओम प्रकाश की अचल सम्पत्ति चक 6 ई छोटी, मुरब्बा नं. 39, किला नं. 24 व 25 क्षेत्रफल 20 गुणा 55 फीट (75 गुणा 60 फीट का हिस्सा) तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी ने समस्त बकया ऋण राशि का भुगतान बैंक को कर दिया है इसलिए अब प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं अर्थात नॉट प्रैस करता है, और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**मैने उक्त तर्कों पर मनन किया** एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 28.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा गुरूनानक गर्ल्स स्कूल, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ओम प्रकाश गेदर, किताबो देवी, विनोद कुमार गेदर, मोहन प्रकाश एवं रणवीर सिंह, मोनिका देवी एवं जलविन्द्र सिंह भंगू के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ओम प्रकाश द्वारा बंधक रखा गई अचल सम्पत्ति चक 6 ई छोटी, मुरब्बा नं. 39, किला नं. 24 व 25 क्षेत्रफल 20 गुणा 55 फीट (75 गुणा 60 फीट का हिस्सा) तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि अप्रार्थी ऋणी ने समस्त बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का अंकन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर भी किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर** द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 28.02.2020 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

**(जाकिर हुसैन)**
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर